

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक दिसम्बर, 2016

विषय:-

बिहार राज्य में आतंकवाद निरोधक दस्ता के उपयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत उपकरणों में से 1 अदद Forensic and cyber crime investigation laboratory with all equipments and software की लागत ₹ 66,03,039 एवं 4 अदद Under vehicle search mirror प्रति अदद 4,000 की दर से 16,000 यानि कुल लागत राशि ₹ 66,19,039 (छियासठ लाख उन्नीस हजार उनचालीस रू0) को पुनर्वैधिकीकरण करते हुए व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक-1240/आपूर्ति, दिनांक-01.12.2016 के संबंध में कहना है कि गृह विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-458, दिनांक-20.01.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार राज्य में आतंकवाद निरोधक दस्ता के उपयोग हेतु आग्नेयास्त्र, गतिशिलता, संचार, निगरानी उपकरण, डोंग दस्ता हेतु प्रशिक्षित डोंग, कार्यालय स्वचालन, जेनरेटर, बम डिसपोजल/एन्टी सबोटेज उपकरण, विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु उपकरण, चिकित्सा दल के लिए उपकरण आदि के क्रय के लिए कुल ₹ 2588.74 लाख (पचीस करोड़ अठासी लाख चौहत्तर हजार रू0) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी। उक्त उपकरणों में से 1 अदद Forensic and cyber crime investigation laboratory with all equipments and software की लागत ₹ 100.00 लाख (एक करोड़ रू0) एवं 4 अदद Under vehicle search mirror प्रति अदद ₹ 0.05 लाख (पाँच हजार रू0) की दर से ₹ 0.20 लाख (बीस हजार रू0) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त स्वीकृत्यादेश में उल्लेखित उक्त दोनों उपकरणों का क्रय करने हेतु पुनर्वैधिकीकरण करते हुए कुल लागत राशि ₹ 66,19,039 (छियासठ लाख उन्नीस हजार उनचालीस रू0) मात्र व्यय करने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र0सं0	उपकरण का नाम	संख्या	प्रति अदद दर	कुल राशि
1.	Forensic and cyber crime investigation laboratory with all equipments and software	1	66,03,039	66,03,039
2	Under Vehicle search Mirror	4	4,000	16,000
कुल				₹ 66,19,039
(छियासठ लाख उन्नीस हजार तीन सौ उनचालीस रू0)				

2. उपर्युक्त राशि ₹ 66,19,039 (छियासठ लाख उन्नीस हजार उनचालीस रू0) मात्र का व्यय राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या-22 के बजट मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-115-पुलिस बल का आधुनिकीकरण, उपशीर्ष-0102-पुलिस प्रशासन एवं ढोंचागत सुदृढीकरण एवं उन्नयन हेतु विपत्र कोड P2055001150102 एवं राज्य योजना स्कीम कोड- HOM-5416 तथा विषयशीर्ष- 52 01-मशीने एवं उपस्कर के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपर्युक्त राशि ₹ 66,19,039 (छियासठ लाख उन्नीस हजार उनचालीस रू0) मात्र का व्यय गृह विभाग के स्वीकृत्यादेश सं0-7040, दिनांक-05.09.2016 द्वारा विमुक्त राशि ₹ 479.80 लाख (चार करोड़ उनासी लाख अस्सी हजार रू0) मात्र में से शेष बची हुई राशि ₹ 78.00 लाख (अठहत्तर लाख रू0) से की जायेगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, बिहार, पटना से की जायेगी।

5. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. उपयोगिता प्रमाण-पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. उपर्युक्त पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/-

(राधा नन्दन प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0-6/योजना-01-1026/2013 गृ0आ0...../ पटना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना/अपर पुलिस महानिदेशक, (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/ पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (ए0टी0एस0), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/आई0टी0 प्रबंधक गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव